

मामलों का विवरण

मोहम्मद इब्राहिम बनाम।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील No.6785)

16 अक्टूबर, 2023।

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी उच्च न्यायालय के एक फैसले से व्यथित है, जिसने तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. निगम या नियोक्ता) द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत) के रूप में उसकी उम्मीदवारी को इस आधार पर अस्वीकार करने में मनमानेपन का दावा करते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया कि वह रंगहीन था।

सेवा कानून-अक्षमता-रंग अंधापन-चिकित्सा परीक्षण के बाद, अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसे रंग दोषपूर्ण दृष्टि (रंग अंधापन) है-निगम ने अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया-अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:टैंगेडको ने कहीं भी स्पष्ट शब्दों में संकेत नहीं दिया है कि किसी भी रूप या डिग्री में रंग दृष्टि की अवहेलना ए. ई. के लिए रोजगार के लिए एक बाधा है-मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता, शब्द के सभी अर्थों में, उस पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए है जिसके लिए उसने आवेदन किया था और उसके लिए चुना गया था-फिर भी, उसे "विकलांग" होने के लिए पद से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वह रंग अंधा है-साथ ही, वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पीडब्ल्यूडी की श्रेणी में नहीं आता है-रिकॉर्ड पर वस्तुनिष्ठ सामग्री से पता चलता है कि रंग दृष्टि हानि हल्की है-फिर भी, टैंगेडको की चिंताओं को अनुचित के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है-हालाँकि।

924

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस।

नियोक्ता द्वारा, वर्तमान मामले में, उस शुल्क को "असमान या अनुचित बोझ" के साथ लगाए बिना-TANGEDCO-नियोक्ता अपीलार्थी को समायोजित करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है-हालाँकि, पद बंद, यानी नियोक्ता द्वारा कनिष्ठ सहायक, अपीलार्थी की योग्यता के साथ असंगत है जो उसे नहीं दिया जा सकता है-निगम में पदों का पदानुक्रम इंगित करता है कि तकनीकी प्रकृति की प्राथमिक निरीक्षण जिम्मेदारियां जूनियर इंजीनियरों पर हैं, जो तकनीकी सहायकों के काम की देखरेख करते हैं, और लाइनमैन की-यह स्पष्ट है कि AE जूनियर इंजीनियरों के पर्यवेक्षी काम की देखरेख करने के पद पर काम करता है-इसमें अंतिम चरण में, दृश्य निरीक्षण के बाद संतुष्टि शामिल हो सकती है -[पैरा 20,25,26,27,28]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

जीजा घोष बनाम भारत संघ [2016] 4 एससीआर 638; रविंदर कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ [2021] 13 एससीआर 823; विकास कुमार बनाम यूनियन

लोक सेवा आयोग [2021] 12 एस. सी. आर. 311-पर निर्भर था।

तुषारकुमार करसनभाई विनजुदा बनाम गुजरात राज्य एस. सी. ए.

No.8611/2020,08.02.2022 पर तय किया गया; भावेश खिमाभाई पंडित बनाम गुजरात राज्य 12 SCA 2916/2022,11.02.2022 पर तय किया गया; तुषार करसनभाई

विनजुभाई बनाम पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड सी/एल. पी. ए. 331/2022, पर निर्णय लिया गया 23.09.2022; नंदकुमार नारायणराव घोड़मारे बनाम महाराष्ट्र राज्य [1995] (पूरक 4) एस. सी. आर. 565; प्रणय कुमार पोडर बनाम त्रिपुरा राज्य [2017] 2 एस. सी. आर. 797; आशुतोष कुमार बनाम भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान [2022]

16 एस. सी. आर. 1094-संदर्भित।

सटन एट अल. वी.यूनाइटेड एयर लाइन्स, इंक. 527 यू. एस. 471 (1999)-संदर्भित।

926 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील No.6785/2021 के डब्ल्यू. ए. एम. डी. No.1506 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.07.2021 से।

रूप:

ए. वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, मृत्युंजय पाठक, आदित्य राज सिंह, महमूद उमर फारूकी, टी. एस. नंदा कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, सुभम कोठारी, सुश्री प्रीति जी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।सहमति के साथ अपील पर अंतिम सुनवाई की गई।अपीलार्थी मद्रास उच्च न्यायालय 1 के एक फैसले से व्यथित है, जिसने उसकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सहायक अभियंता (इसके बाद "ए.

ई".) (इलेक्ट्रिकल) के रूप में उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में मनमानेपन का दावा किया गया था-(इसके बाद इसे विभिन्न रूप से टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. या "निगम" या "नियोक्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है), इस आधार पर कि वह रंगहीन था। यह निर्विवाद है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया था, भर्ती प्रक्रिया में योग्यता भी प्राप्त की थी, और ए. ई. के पद के लिए चुने गए थे।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी को 2015-2 में अधीक्षक कार्यालय, करूर द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत) के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31.3.2017 3 पर सेवाओं में शामिल हुआ था। निगम ने सूचित किया 4

1 डब्ल्यू. ए. (एम. डी.) सं. 1506/2021 डी. टी. 30.7.2021.

2 प्रत्यर्थी निगम में सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल), सहायक अभियंता (मैकेनिकल) और सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक अधिसूचना सं. 01/15 दिनांकित 28.12.2015 प्रकाशित की गई थी।

3 मेमो नं. 02972I360IA dm.I./A1 F. एण्ट। अधीक्षक कार्यालय, करूर द्वारा दिनांकित आदेश/2017-7 31.03.2017।

4 चयन पत्र संख्या 024396/108/G. 55/G. 551/2015 दिनांक 30.03.2017।

927

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। 928 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

अपीलार्थी ने अपने चयन के बारे में कहा और उसे 15.04.2017 पर अधीक्षक, करूर के कार्यालय सीई को रिपोर्ट करने के लिए कहा। बाद में, उन्हें चिकित्सा परीक्षण के बाद वरिष्ठ सिविल सर्जन सरकारी अस्पताल, कुंभकोणम से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जाँच के बाद, अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसे रंग दोषपूर्ण दृष्टि (रंग अंधापन) है। बाह्य रोगी रसीद (दिनांक 15.04.2017) द्वारा उन्हें सहायक सर्जन, सरकार के पास भेजा गया था। अस्पताल, मुसिरी, त्रिची जिला। द अस्ट. सर्जन ने कहा कि उन्हें रंग अंधापन था और उन्हें एमजीएम त्रिची के मेडिकल बोर्ड/नेत्र विज्ञान विभाग में भेजा गया। करूर में अधीक्षक कार्यालय ने मेडिकल बोर्ड, तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दिनांकित 31.10.2017 पत्र लिखा, जिसमें अपीलार्थी की चिकित्सा जांच और उस परीक्षा के आधार पर एक रिपोर्ट का अनुरोध किया गया। क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड (इसके बाद "आर. एम. बी.") ने अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा; उसे चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट निगम को भेज दी जाएगी। आर. एम. बी., तंजावुर से 23.02.2018 5 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रतिवादी को भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि: "..... फिटनेस

रोगी के लिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि नियोक्ता (टी. एन. ई. बी.) द्वारा रंग दृष्टि के संबंध में मानदंड प्रदान नहीं किए गए हैं।

3. पीड़ित, अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 11.03.2019 6 के आदेश द्वारा नियोक्ता को आर. एम. बी. रिपोर्ट के अनुसार मामले का फैसला करने का निर्देश दिया।

चिकित्सा बोर्ड, तंजावुर ने अपीलार्थी के मामले पर विचार करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए दिनांकित 05.07.2019 रिपोर्ट जारी की। इसके बाद, निगम के अधिकारी ने दिनांकित 5.12.2019 की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के चयन को रद्द करते हुए एक पत्र भेजा। अपीलार्थी की सेवाओं को 14.05.2020 से ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ समाप्त कर दिया गया था।

4. पीड़ित, अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के तहत उचित कार्यवाही के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय 7 का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.03.2021 के आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया और 31.03.2017 (उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से प्रभावी होने के साथ AE (इलेक्ट्रिकल) के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति का निर्देश दिया और कहा:

5 असर संख्या 13278/एमबी/2017। 6 डब्ल्यूपी (एम. डी.) संख्या 2255/2019 में। 2020 का 7 डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) No.15115।

“7. अधीक्षण अभियंता ने अपने दिनांकित 15.04.2017 पत्र में यह मान लिया है कि याचिकाकर्ता को 'रंग अंधापन' था, जो किसी भी चिकित्सा रिपोर्ट के साथ समर्थित नहीं था। इसी तरह, मुख्य अभियंता (व्यक्तिगत) ने भी अस्वीकृति के विवादित आदेश में याचिकाकर्ता की आंख की स्थिति को "रंग अंधापन" करार दिया है। इसके विपरीत, ऊपर उल्लिखित दोनों अस्पतालों के नेत्र विज्ञान विभाग से जुड़े चिकित्सा विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना था कि केवल एक 'दोषपूर्ण रंग दृष्टि' थी, न कि 'रंग अंधापन'। 'रंग अंधापन' और 'दोषपूर्ण रंग दृष्टि' के बीच एक बड़ा अंतर है। दोषपूर्ण रंग दृष्टि के मामले में, इस तरह के दोष वाला व्यक्ति अपना सामान्य नियमित जीवन जी सकता है, यदि दोष न्यूनतम है और संभवतः, यदि दोष अधिकतम होना था, तो ऐसे उम्मीदवार को अपनी नियमित दृष्टि में कुछ असुविधा हो सकती है।

8. मान लीजिए, सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर आवेदन के लिए बुलाए जाने वाले अधिसूचना दिनांक 28.12.2015 में ऐसे मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, और न ही TANGEDCO के भर्ती नियम इन मानदंडों को निर्धारित करते हैं। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता की रंग दृष्टि की योग्यता को प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तरदाता एकतरफा रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा 'रंग दृष्टि' में त्रुटि इतनी प्रतिशत होगी कि सहायक अभियंता (विद्युत) के नियमित कर्तव्यों में बाधा आएगी। इस तरह का निर्णय समझदारी पर आधारित नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्तरदाताओं के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट या किसी अन्य सामग्री पर कोई निर्भरता नहीं रखी गई है।”

9. ऐसा लगता है कि विवादित आदेश सहायक अभियंता (विद्युत) के पद के लिए कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों पर बहुत अधिक निर्भरता रखता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या पद धारण करने वाला उम्मीदवार ऐसे कर्तव्यों, कार्यों या जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए अयोग्य या अयोग्य होगा, चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट द्वारा समर्थित कुछ सामग्रियों के आधार पर निर्धारण करने की आवश्यकता है। ऐसी सामग्री या चिकित्सा रिपोर्ट के अभाव में और केवल सहायक अभियंता (विद्युत) के पद के लिए कर्तव्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों पर भरोसा करना

अतार्किक और आधारहीन होगा और इसलिए, याचिकाकर्ता को 'अनुचित' बताने वाले इस तरह के तर्क को 'मनमाना' कहा जा सकता है।”

929

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 930

5. उच्च न्यायालय के उपरोक्त एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, नियोक्ता-टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट अपील 8 को प्राथमिकता दी। पीठ की राय थी कि नियोक्ता ने सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा था और अपीलार्थी द्वारा पद यानी ए. ई. के संबंध में किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कहा था:

“7. टैंगेडको ने याचिकाकर्ता को केवल इतना ही बताया कि याचिकाकर्ता के मामले को देखने के लिए गठित विशेष समिति ने राय दी थी कि याचिकाकर्ता ऐसे पद में शामिल कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए योग्य नहीं होगा। हमेशा एक धारणा होती है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत उस विवरण का जवाब देने वाले एक सांविधिक निकाय या प्राधिकरण ने उचित तरीके से काम किया होगा और कोई आदेश पारित करने या निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा होगा। हालांकि इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है, रिट याचिकाकर्ता अदालत के लिए TANGEDCO के विवादित निर्णय में किसी भी स्पष्ट मनमानेपन का संकेत नहीं देता है कि वह इसे इस शर्त के लिए घोर रूप से असंगत मानता है कि रिट याचिकाकर्ता इस शर्त से या इस तरह की शर्त के साथ आने वाली बाधा से ग्रस्त है।”

6. पीड़ित, अपीलार्थी ने अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि पद के लिए प्रारंभिक अधिसूचना 9 में दृष्टि या रंग अंधापन के संबंध में कोई योग्यता मानदंड निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि अधिसूचना में किसी भी विशिष्ट सी योग्यता मानदंड का अभाव, अपीलार्थी को अपने कर्तव्यों में शामिल होने से रोकने के लिए TANGEDCO की कार्रवाई मनमाना और अवैध है। यह आगे तर्क दिया गया कि, उच्च न्यायालय के दिनांक 10 के आदेश के बाद, आर. एम. बी., तंजावुर द्वारा अपीलार्थी की जांच की गई और अपनी रिपोर्ट में, विशेषज्ञ ने राय दी कि अपीलार्थी की रंग दृष्टि दोषपूर्ण थी; इसकी रिपोर्ट इस बारे में निर्दिष्ट नहीं थी कि क्या स्थिति हो सकती है।

उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया क्योंकि रंग दृष्टि के लिए कोई विशिष्ट दृश्य मानदंड नहीं थे।

वास्तव में, आर. एम. बी. ने यह भी नोट किया कि नियोक्ता ने आवश्यक मानदंड निर्धारित नहीं किए थे और इसलिए यह राय देना संभव नहीं था कि क्या अपीलार्थी कर सकता है या नहीं।

8 2021 का डब्ल्यू. ए. (एम. डी.) No.506। 9 सं. 1/2015 दिनांक 28.12.2015 10 डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) सं. 2255/2019 में।

अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सके। अपीलार्थी ने अरविंद नेत्र अस्पताल और स्नातकोत्तर नेत्र विज्ञान संस्थान, चेन्नई की रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि वह लाल रंग को नारंगी रंग के रूप में और हरे और नीले रंग को उन रंगों के हल्के रंगों के रूप में पहचान सकता है।

7. इस अदालत ने अपने दिनांक 24.1.2023 के आदेश द्वारा TANGEDCO से अपीलार्थी को समायोजित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का अनुरोध किया। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि इस तरह का समायोजन संभव नहीं था क्योंकि अपीलार्थी को एक विशेष पद के लिए चुना गया था जिसके लिए उसे अपने कार्यकाल के कम से कम 10 वर्षों के लिए इस पद पर होना आवश्यक है। इस भूमिका में विशिष्ट सी रंग कोडिंग के साथ मशीनरी का दृश्य निरीक्षण शामिल था। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने आगे कहा कि ए. ई. का पद एक तकनीकी पद है जिसमें रंगीन केबल और उपकरण शामिल हैं जिनके लिए रंगों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। उनकी जागरूकता की कमी अपीलार्थी और आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

8. टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने अपने अतिरिक्त अनुबंध में आग्रह किया कि अपीलार्थी न तो उसकी सेवाओं में शामिल हुआ था और न ही उसने एक दिन के लिए काम किया था। ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति मिलने से पहले ही उनका रंग अंधापन सामने आ गया था और इसलिए, विकलांग अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस अदालत ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एक स्वतंत्र नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपीलार्थी की दृश्य जांच की सुविधा प्रदान करने और अपनी रिपोर्ट को सीलबंद रंग में देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके बाद TANGEDCO ने अपनी मूल स्थिति को दोहराया, अपीलार्थी को किसी भी पद-प्रशासनिक, योजना या अन्य सामान्य विभाग में समायोजित करने से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में अपील की सुनवाई की गई। 9.

TANGEDCO स्वीकार करता है कि रंग दृष्टि मानदंडों की तुलना में AE के पद पर चयन के लिए पात्रता शर्तों के रूप में इसके द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, इसने तर्क दिया कि एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में, एक चयनित उम्मीदवार का विज्ञापन किए गए पद के लिए आवश्यक कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार, और जिसके लिए एक योग्य आवेदक द्वारा एक उम्मीदवारी आयोजित की जाती है, जिसके पास उचित रंग दृष्टि होती है, एक आवश्यक मानदंड है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक ए. ई. काफी जिम्मेदार पद रखता है, क्योंकि शुरू में पद के धारक को लाइनमैन, तकनीकी सहायकों द्वारा किए गए काम को सत्यापित करने के लिए नियमित निरीक्षण करना पड़ता है, जिनकी निगरानी जूनियर इंजीनियर-II द्वारा की जाती है। टेंगेडको के वकील ने सुनवाई की पिछली तारीख को निर्देश प्राप्त करने के बाद कहा कि अपीलार्थी को जूनियर के रूप में समायोजित किया जा सकता है।

सहायक, एक इंजीनियरिंग स्नातक होने के कारण, एक 931 के धारक के रूप में

डिग्री, और यह कि "कनिष्ठ सहायक/प्रशासन के पद के लिए पदोन्नति के रास्ते सहायक/प्रशासन, प्रशासनिक पर्यवेक्षक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन सभी पदों में कोई तकनीकी, रंग से संबंधित, काम का विद्युत जीवंत वातावरण नहीं है।"

विवादात्मक बातें

10. टैंगेडको गुजरात के दो एकल न्यायाधीशों के फैसलों पर निर्भर है।

उच्च न्यायालय (तुषार कुमार करसनभाई विनजुदा बनाम गुजरात राज्य 11 और भावेश खिमाभाई पंडित बनाम गुजरात राज्य 12) और तुषार करसनभाई विनजुभाई बनाम पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड 13 में एक खंड पीठ का निर्णय।

इन तीन निर्णयों में, गुजरात उच्च न्यायालय ने विद्युत उपयोगिताओं में तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के रंग अंधापन पर विचार किया और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन की अस्वीकृति को इस आधार पर बरकरार रखा कि पद के लिए अपने धारक को "जीवित तारों से निपटने" की आवश्यकता है।

विशेष रूप से स्थापना के दौरान जहां तारों का रंग प्रमुख महत्व का होता है।रिलायंस को सटन एट अल. वी पर भी रखा गया था।यूनाइटेड एयर लाइन्स,

आई. एन. सी. 14 जहां दावेदारों में खराब दृश्य तीक्ष्णता (एक आंख पर 20/200 और दूसरी आंख में 20/400) थी।अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक एयरलाइन पायलटों के रूप में रोजगार की मांग की थी, जिसे संघीय विमानन प्रशासन के प्रमाणन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।निर्धारित मानक 20/100 की दृष्टि थी।अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने, प्रासंगिक कानून 15 के तहत "विकलांगता" शब्द की व्याख्या पर यह अभिनिर्धारित किया कि यह एक ऐसी स्थिति थी जो एक शारीरिक या मानसिक हानि थी जो ऐसे व्यक्ति की एक या अधिक जीवन गतिविधियों को काफी हद तक सीमित करती है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दावा स्थापित नहीं था।न्यायालय ने कहा कि:

"काम करने की प्रमुख जीवन गतिविधि में काफी हद तक सीमित होने के लिए, किसी को एक से अधिक प्रकार की नौकरी, एक विशेष नौकरी या पसंद की किसी विशेष नौकरी से बाहर रखा जाना चाहिए।यदि किसी व्यक्ति के कौशल का उपयोग करने वाली नौकरियां (लेकिन शायद उसकी अनूठी प्रतिभा नहीं) उपलब्ध हैं, तो एक

11 एस. सी. ए. No.8611/2020,08.02.2022 पर तय किया गया।12 एस. सी. ए. 2916/2022,11.02.2022 पर तय किया गया।13 C/LPA 331/2022,23.09.2022 पर तय किया गया।14 527 यूएस 471 (1999)।

15 42 यू. एस. सी. § 12102 (2) (ए)।

नौकरियों के एक बड़े वर्ग से वंचित नहीं है।इसी तरह, यदि विभिन्न प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं, तो कोई भी नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला से वंचित नहीं है।"

11. टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा है कि इसके मुख्य अभियंता (कार्मिक) ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में अपनी कथित स्थिति का खुलासा किया कि अपीलार्थी का रंग अंधापन उसे कर्तव्य में शामिल होने की अनुमति देने से पहले ही सामने आ गया था और आगे कहा कि:

“6. मैं विनम्रता से कहता हूं कि याचिकाकर्ता ने सहायक अभियंता के पद के लिए आवेदन किया था और यह एक तकनीकी पद है जिसमें केबल और रंगीन कोडिंग वाले अन्य उपकरण शामिल होंगे। मेरा कहना है कि ऐसा होने पर रंगों के बारे में जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी कमी से याचिकाकर्ता की अपनी और आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ जनता को आपूर्ति के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित उपकरणों के लिए भी खतरा पैदा होगा।

7. मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सहायक अभियंताओं/विद्युत (प्रशिक्षु) को अपनी प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के लिए एफ. आई. एल. डी. और कार्यालय दोनों में काम करना पड़ता है। एक सहायक अभियंता का उपयोग पूरी तरह से लगभग दस साल या उससे अधिक समय तक कार्य के लिए और उसके बाद सहायक कार्यकारी अभियंता के पदोन्नत पद पर भी नहीं किया जा सकता है। रंग दोष निश्चित रूप से याचिकाकर्ता की सहायक अभियंता/विद्युत (प्रशिक्षु) के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता को प्रभावित करेगा। इसमें याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की योग्यता के साथ और रंग दोष होने पर उसी पद यानी सहायक अभियंता/इलेक्ट्रिकल (प्रशिक्षु) में समायोजित नहीं माना जा सकता है।

12. सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद ए. ओ. आर. श्री महमूद उमर फारूकी ने उनकी सहायता की। उन्होंने इस विषय पर काफी मामले कानून और साहित्य एकत्र किया था। अदालत उनके बहुमूल्य योगदान और प्रभाव के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए. वेलन उपस्थित हुए थे। यह तर्क दिया गया था कि शंकर नेत्रालय अस्पताल की रिपोर्ट, जिसकी तारीख 26.05.2023 मांगी गई थी, में प्रतिष्ठित "इशिहारा स्यूडो आइसोक्रोमैटिक प्लेट्स" आधारित परीक्षण का उपयोग किया गया था। परीक्षण के भौतिक भाग से पता चला कि उन्हें हल्के रंग की दृष्टि की कमी थी। शंकर नेत्रालय नेत्र चिकित्सालय के निष्कर्ष इस प्रकार थे:

933

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। 934 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

“3. उपरोक्त परीक्षणों में, उन्हें हल्के रंग दृष्टि की कमी का पता चला था।

क) डेमो प्लेट को छोड़कर इशिहारा रंग दृष्टि जांच परीक्षण के साथ, उन्होंने अन्य प्लेटों को सही प्रतिक्रिया नहीं दी।

बी) एओ-एचआरआर परीक्षण के साथ, वह डेमो प्लेटों की पहचान करने में सक्षम था और नैदानिक प्लेटों के साथ, उसने दो हल्के रूप प्रोटान प्लेटों के लिए प्रतिक्रिया दी।

ग) एफ. एम. 100 ह्यू परीक्षण में, वह बिना किसी देरी के प्रदर्शन करने में सक्षम थे और उन्होंने पुष्टि की कि वह परीक्षण को समझ गए हैं।

घ) वह फल्यूनसी (चित्र 1) के साथ तार मिलान परीक्षण करने में सक्षम था।

ई) संकेत परीक्षण पर, वह त्रुटियाँ कर रहा था और उसे पीले रंग के साथ भ्रमित कर रहा था।⁴ इसके बाद उन्हें कार्यस्थल पर उनकी क्षमताओं का निरीक्षण करने के लिए "ऑन द फील्ड टेस्ट" में ले जाया गया। यह परीक्षण 141, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002 पर स्थित TANGEDCO के कार्य केंद्र पर आयोजित किया गया था। उन्हें कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर पर दिखाई देने वाले डिस्प्ले पैनेलों के रंगों को पढ़ने के लिए कहा गया था। वह गलतियाँ कर रहा था जब रंग पीले रंग के करीब आता है। वह उस रंग को हरे रंग की हल्की छाया के रूप में गलत पढ़ रहा था जो वास्तव में पीला है।

5. कंट्रोल पैनेल की बड़ी डिस्प्ले यूनिट पर, उन्हें संकेतों और विभिन्न रंगों में लिखे नंबरों को पढ़ने के लिए कहा गया था। वे बिना किसी बाधा के संख्याओं और पाठ को पढ़ने में सक्षम थे। वह रंगीन तीर के निशान की पहचान करने में भी सक्षम था। (हम तस्वीर प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें गोपनीयता का हवाला देते हुए तस्वीर लेने की अनुमति नहीं थी)।

6. चेन्नई वितरण नियंत्रण इकाई में, उन्हें वितरण लाइन चार्ट पर रंगों की पहचान करने के लिए कहा गया था। वह अधिकांश रंगों की पहचान करने में सक्षम थे, लेकिन पीले और हरे रंगों के साथ गलतियाँ करते थे।

7. उन्हें नियंत्रण कक्ष स्टेशन में तारों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था। उन्होंने अधिकांश रंगों की पहचान की, लेकिन भूरे और नारंगी रंग के तारों और हरे और पीले रंग के तारों के साथ भी त्रुटियाँ कीं।

8. अंतिम यात्रा के बाद, विस्तृत फंडस परीक्षा की गई। रेटिना, मैकुला और ऑप्टिक नर्व हेड दोनों आंखों के लिए सामान्य दिखाई दिए।”

उद्देश्य:

1. आयोजित परीक्षा के दौरान उपरोक्त तथ्यों को देखने और उनकी नौकरी के बारे में विचार करने के साथ, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें वितरण लाइन चार्ट को पढ़ते समय त्रुटियों का सामना करना पड़ सकता है जो लाइनों के संचालन पर निर्णय लेने के लिए ए. ई. के नौकरी के प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। 2. जब हरे और लाल रंगों के हल्के रंगों की बात आती है तो उन्हें भी भ्रम होता है।”

14. अपीलार्थी नंदकुमार नारायणराव पर भी निर्भर है।

घोड़मारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 16 जहाँ अदालत को निपटना था

कृषि कार्यालय के पद के लिए आकांक्षी।उनका रंग अंधापन के लिए मूल्यांकन किया गया था। अदालत ने निर्देश दिया कि विकार या तथाकथित दोष नियुक्ति के लिए एक बाधा नहीं होनी चाहिए और उसे संगठन की अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।अदालत का विचार था कि कुछ पदों को छोड़कर, कैडर में अन्य पद थे जिन्हें सही रंग दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी और रंग अंधता वाले व्यक्तियों को भी समायोजित किया जाएगा।इसलिए अदालत ने राज्य को रोजगार देने का निर्देश दिया।रिलायंस को भी रखा गया था

प्रणय कुमार पोडर बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में हाल का निर्णय 17

जहाँ न्यायालय ने इशिहारा रंग दृष्टि परीक्षण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।इस बात पर जोर दिया गया कि रंग दृष्टि की अवहेलना न तो दृष्टि की हानि है और इस अर्थ में यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत उपचार की मांग करने वाले विकलांग स्पेक्ट्रम के भीतर आता है और न ही यह ऐसी शर्त है जो पर्याप्त रूप से योग्य व्यक्तियों की पात्रता को किसी ऐसे संगठन में नियोजित करने से रोकती है जो उनकी शैक्षिक उपलब्धियों और प्रतिभाओं को समायोजित कर सके।विद्वान वकील ने भी आशुतोष कुमार पर भरोसा किया

v. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान 18 जहां वर्तमान मामले की तरह,

विशेषज्ञ निकाय जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) है, ने बताया कि याचिकाकर्ता रंग दृष्टि की अवहेलना से ग्रस्त था।

16 1995 (4) एस. सी. आर. 565। 17 2017 (2) एससीआर 797। 18 [2022] 16 एस. सी. आर. 1094

935

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। 936 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

एफ. टी. आई. आई. ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।अदालत ने तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि पाठ्यक्रम का समग्र जोर-जिसके प्रवेश की मांग की गई थी, कला और संस्कृति की सराहना, नवाचार, बाधाओं द्वारा अप्रतिबंधित अंतर्ज्ञान पर जोर दिया गया था जिसे सहायता द्वारा दूर किया जा सकता है।इसलिए अदालत की राय थी कि रंग दृष्टि की अवहेलना के बावजूद, आवेदक को प्रवेश दिया जाना चाहिए।

15. यह आगे बताया गया है कि पदों के पदानुक्रम में, सबसे जूनियर लाइनमैन होगा; अगली पंक्ति में एक तकनीकी सहायक होगा, जो एक डिप्लोमा धारक है; जिसके ऊपर जूनियर इंजीनियर (ग्रेड-II) होगा।इस बात पर जोर दिया गया कि जूनियर इंजीनियर (ग्रेड-II) इस प्रकार तकनीकी सहायकों और लाइनमैन के काम की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा जो वास्तव में साइट पर जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या कर्मचारी होंगे।इसलिए ए. ई. लाइनमैन, तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंता (ग्रेड-II) के ऊपर पदानुक्रम में चौथे स्थान पर होगा।निगम के संगठनात्मक विभाजन के

आधार पर इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कई शाखाएँ हैं जहाँ सहायक अभियंताओं को समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ए. ई. जो एक अनुभाग कार्यालय के रूप में कार्य करता है, उसे ए. ई. (सबस्टेशन रखरखाव) के रूप में भाग लेने के लिए भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये पद अंतर-परिवर्तनीय हैं। इसी तरह, ए. ई. (शिफ्ट इंजीनियर) सबस्टेशन रखरखाव विभाग ए. ई. के साथ अंतर-परिवर्तनीय है। ए. ई. द्वारा अधीक्षण अभियंता (एस. ई.) के कार्यालय में भी काम करने की उम्मीद है। उन्हें कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में ए. ई. (सामग्री प्रबंधन) या ए. ई. (सी. ए. यू. पी.) के रूप में या यहां तक कि केवल एस. ई. कार्यालय में ए. ई. (सामान्य) के रूप में काम करने के लिए तैनात किया जा सकता है। एस. ई. के कार्यालय में ए. ई. (जनरल) का उपयोग सबस्टेशन में ए. ई. (लाइन्स) के लिए किया जा सकता है।

16. यह तर्क दिया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक सुरक्षा उपाय हैं कि अपीलार्थी जैसे व्यक्ति को न केवल एक विभाग में बल्कि कई विभागों या इकाइयों में तैनात किया जा सकता है, जिनके लिए वास्तविक वित्तीय भागीदारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि आवास या उचित आवास के अधिदेश के लिए नियोक्ता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा का अधिकतम उपयोग किया जाए, उन सीमाओं के भीतर जिनमें उसे रखा गया है, अनजाने में। इसलिए, वर्तमान मामले में नियोक्ता स्पष्ट रूप से एक कर्तव्य के तहत था कि वह अपीलार्थी को समायोजित करे और उसके रोजगार को जारी रखे।

विश्लेषण और निष्कर्ष

17. जैसा कि पहले देखा गया है, TANGEDCO ने कहीं भी स्पष्ट शब्दों में संकेत नहीं दिया है कि किसी भी रूप या डिग्री में रंग दृष्टि की कमी AE के लिए रोजगार के लिए एक बाधा है। इसका व्यापक तर्क है कि पद के लिए आवश्यक कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए एक उम्मीदवार का आवश्यक चिकित्सा योग्यता का स्तर असाधारण है। फिर भी, वह व्यापक सूत्रीकरण पर्याप्त नहीं है

इसके लिए किसी भी प्रकार के आवास की संभावना से इनकार करने का आधार। आवश्यकता - नहीं, इस मामले में, किसी प्रकार के आवास के लिए अपीलार्थी की पात्रता निर्विवाद है, क्योंकि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे विषय का बुनियादी या आवश्यक ज्ञान से अधिक है; उसे विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों और उपकरणों के कार्यों की पहचान के संबंध में जागरूकता और अनुभव है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक पूर्व शर्त, इस तरह के उपकरणों और उपकरणों के कार्यों, संभावित दोषों और उनके टूटने के समाधान के बारे में पाठ्यक्रम के दौरान व्यावहारिक अनुभव है। इस मामले के तथ्य हमें निर्देश देते हैं कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि अपीलार्थी की जो भी शर्त थी, वह उनकी जागरूकता के बिना थी; उनकी शिक्षा के दौरान उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, कौशल और प्रवीणता ने कहीं भी रंग दृष्टि की अवज्ञा को उजागर नहीं किया है, जो उनके चयन के बाद खोजा गया प्रतीत होता है। अपने चयन की शर्त के रूप में, उन्होंने सार्वजनिक

परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वाइवा वॉस या साक्षात्कार में भी सफलतापूर्वक भाग लिया था।

18. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद "अधिनियम") के प्रावधानों से पहले विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 था। पिछला कानून, हमारे देश द्वारा एशियाई और प्रशांत क्षेत्र 19 में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बनने के अनुसार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। पूर्ववर्ती अधिनियम के साथ-साथ अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भागीदारी और सशक्तिकरण को सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए अनुकूल कार्रवाई शामिल है।

19 1 से 5 दिसंबर, 1992 को बीजिंग में आयोजित एशिया और शांति के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई और शांति के दशक के विकलांग व्यक्तियों के शुभारंभ के लिए आयोजित एक बैठक में एशियाई और शांति के क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा को अपनाया गया।

937

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 938

राज्य या उसकी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित संस्थानों में प्रवेश स्तर पर आरक्षण, और संस्थानों तक भौतिक पहुंच को सक्षम करने के लिए सामान्य प्रावधान; यह मौजूदा संस्थानों के प्रावधान, पीडब्ल्यूडी को समायोजित करने, भौतिक बुनियादी ढांचे में, और सभी बिंदुओं पर ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और कार्यप्रणाली को बढ़ाने के लिए अनिवार्य करता है। "अक्षमता" और विकलांग व्यक्तियों के लिए इसके प्रावधान काफी विस्तृत हैं; दिलचस्प बात यह है कि इन अवधारणाओं को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है, जिससे उनके उपयोग की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। हालांकि, साथ ही, संबद्ध कार्रवाई के रूप में वास्तविक लाभ को पीडब्ल्यूडी की एक विशिष्ट सी श्रेणी (ऑर्थोपेडिक, दृश्य, श्रवण, मानसिक, आदि) द्वारा परिभाषित किया जाता है और "बेंचमार्क" अक्षमता 21 के संदर्भ से जुड़ा होता है, जो उन पीडब्ल्यूडी को हकदार बनाता है जो अक्षमता की एक निश्चित सीमा (40 प्रतिशत या उससे अधिक) के साथ योग्य होते हैं।

20 धारा 2 (ओं) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: "विकलांग व्यक्ति का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता वाला व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है; '21 जिसे धारा 2 (आर) द्वारा अवहेलना की गई है: "मानक अक्षमता वाले व्यक्ति का अर्थ है कम से कम चालीस प्रतिशत वाला व्यक्ति। एक विशिष्ट शारीरिक अक्षमता जहां विशिष्ट शारीरिक अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां विशिष्ट शारीरिक अक्षमता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है।

22 अधिनियम की धारा 33 इस प्रकार है: आरक्षण के लिए पदों की पहचान -

उपयुक्त सरकार -

(i) उन प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान करें जो धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की संबंधित श्रेणी द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं;

(ii) ऐसे पदों की पहचान के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना; और

(iii) तीन साल से अधिक के अंतराल पर पहचान किए गए पदों की आवधिक समीक्षा करना।

34. आरक्षण।— (1) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम चार प्रतिशत की नियुक्ति करेगी। पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रक्तियों की कुल संख्या का एक प्रतिशत, जिसमें मानक विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। प्रत्येक खंड (ए), (बी) और (सी) और एक प्रतिशत के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए, अर्थात्:—

(ए) अंधापन और कम दृष्टि;

(बी) बधिर और सुनने में कठिनाई;

(ग) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, ड्वार्फी एस. एम., एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता;

(घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट ग सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस न्यायालय की राय में, एक ओर केवल विकलांगों की अन्य श्रेणियों के बहिष्कार के लिए विशिष्ट श्रेणियों को शामिल करने की प्रकृति और एक सीमा की पात्रता बाधाओं का गठन करती है।

19. अधिनियम में एक सामान्य गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान है:

“3. समानता और गैर-भेदभाव।

(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन और दूसरों के साथ उनकी अखंडता के लिए समान रूप से सम्मान प्राप्त हो। (2) उपयुक्त सरकार उपयुक्त वातावरण प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाएगी।

(3) किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवादित कार्य या चूक एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।

(4) किसी भी व्यक्ति को केवल अक्षमता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

(5) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।”

20. परिभाषित श्रेणियों के भीतर आने की दोहरी शर्तें, और ऐसी अक्षमताओं की न्यूनतम प्रतिशत की एक सीमा शर्त, वास्तव में एक बाधा है। इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी, शब्द के सभी अर्थों में, उस पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए है जिसके लिए उसने आवेदन किया था और जिसके लिए उसका चयन किया गया था। फिर भी, उसे इस पद से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वह "अक्षम" है क्योंकि वह रंग अंधा है। साथ ही, वह अधिनियम में निहित ब्रह्मांड के शब्दकोश के तहत पीडब्ल्यूडी की श्रेणी में नहीं आता है। ये हैं मुश्किलें

(ई) खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों के बीच कई अक्षमताएं, जिसमें प्रत्येक अक्षमता के लिए पहचाने गए पदों में बधिरता भी शामिल है:

बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं:

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

939

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 940 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

"अक्षमता" का गठन क्या है, इसकी पारंपरिक समझ। इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों से परे जाना होगा और एक ऐसे सिद्धांत को समझना होगा जिसे तर्कसंगत रूप से लागू किया जा सकता है।

21. जीजा घोष बनाम भारत संघ 23 में इस न्यायालय ने कहा:

"40. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में समानता दो पूरक सिद्धांतों पर आधारित है: गैर-भेदभाव और उचित भिन्नता। गैर-भेदभाव का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपने सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें। समान भागीदारी के अवसरों को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने के कारण भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए, जब सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों की पहुंच से बाहर मानकों पर निर्धारित किया जाता है, तो यह बहिष्कार और अधिकारों से इनकार करने की ओर ले जाता है। समानता का तात्पर्य न केवल भेदभाव को रोकना है (उदाहरण के लिए, भेदभाव विरोधी कानून लागू करके प्रतिकूल व्यवहार से व्यक्तियों की सुरक्षा), बल्कि समाज में व्यवस्थित भेदभाव को बढ़ावा देने वाले समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करने से भी आगे जाता है। ठोस शब्दों में, इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों, संबंधपरक कार्रवाई और उचित समायोजन की धारणा को अपनाना।"

22. रविंदर कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ 24 पर प्रकाश डाला गया

समानता का अधिकार और दो पहलुओं को रेखांकित किया: औपचारिक समानता और मूल समानता। इसने कहा कि मूल समानता का उद्देश्य परिणामों की समानता पैदा करना है, और मामले के संदर्भ में, यह देखा गया है कि

“उचित आवास का सिद्धांत पर्याप्त समानता प्राप्त करने के साधनों में से एक है, जिसके अनुसार विकलांग व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।” अदालत ने विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग 25 को याद किया, जिसमें कहा गया था कि “उचित आवास का सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि यदि विकलांगता का उपचार किया जाना चाहिए और विकलांगों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए समान रूप से अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। उचित आवास समावेश के मानदंड में स्थापित किया गया है। बहिष्करण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत गरिमा और मूल्य की उपेक्षा होती है या वे चुन सकते हैं

23 [2016] 4 एससीआर 638। 24 [2021] 13 एससीआर 823 25 [2021] 12 एससीआर 311

उचित आवास का मार्ग, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान किया जाता है।”

23. यह भी नोट किया गया कि अधिनियम के अध्याय VII और VIII के प्रावधान उचित समायोजन के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं जो समानता की गारंटी का एक घटक है। इसे मिसाल की एक पंक्ति द्वारा मान्यता दी गई है। इस अदालत ने कई मामलों में यह माना है कि विकलांग व्यक्तियों की अलग-अलग जरूरतों को पहचानना, समानता के सिद्धांत का एक पहलू है।

24. विकास कुमार (ऊपर) का महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह मामला एक पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति वाले व्यक्ति के साथ निपटता है जिसके परिणामस्वरूप राइटर की ऐंठन होती है, जो लिखित रूप में अत्यधिक अस्पष्टता का अनुभव करता है। उन्हें यू. पी. एस. सी. द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक लेखक से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे बेंचमार्क विकलांगता (40 प्रतिशत या उससे अधिक विशिष्ट विकलांग) वाले व्यक्ति की अवज्ञा के दायरे में नहीं आते थे। इस अदालत ने इस रुख को खारिज कर दिया और उसे विकलांग व्यक्ति माना। यह भी कहा गया था कि उनके लिए लेखक का प्रावधान उचित आवास के दायरे में आता है। अदालत ने कहा:

“... आवास जिसे कानून अनिवार्य करता है वह 'उचित' है क्योंकि इसे विकलांगता की प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना है। प्रत्येक विकलांग व्यक्ति की जो अपेक्षाएँ होती हैं, वे विकलांगता की प्रकृति और उसके परिणामस्वरूप आने वाली बाधाओं के चरित्र के लिए अद्वितीय होती हैं।

25. अपीलार्थी को, सभी उद्देश्यों के लिए, विकलांग व्यक्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन वह अधिनियम में उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आता है, और न ही उसके पास अपेक्षित मानदंड पात्रता शर्त है। अभिलेख पर वस्तुनिष्ठ सामग्री से पता चलता है कि रंग दृष्टि हानि हल्की है। फिर भी, टैंगेडको की चिंताओं को अनुचित नहीं माना जा सकता है। हालांकि, TANGEDCO “उचित आवास” के

ढांचे के तहत काम करने के लिए बाध्य है, जिसे धारा 2 (y) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“(“उचित समायोजन” का अर्थ है किसी विशेष मामले में असमान या अनुचित बोझ लगाए बिना आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन, ताकि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

941

मोहम्मद इब्राहिम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 942

26. इस प्रकार उचित समायोजन “उचित संशोधन और समायोजन” है जो नियोक्ता द्वारा लिया जाना चाहिए, वर्तमान मामले में, उस शुल्क को “असमान या अनुचित बोझ” के साथ लगाए बिना। TANGEDCO-नियोक्ता अपीलार्थी को समायोजित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। फिर भी इसकी स्थिति अत्यधिक अपर्याप्त है: कि यह विलंबित है, बात से परे है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, कनिष्ठ सहायक का पद, अपीलार्थी की योग्यता के साथ असंगत है, जिसे उसके लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है; यह केवल एक उपशामक इशारा है, जिसे उसने न्यायसंगत रूप से खारिज कर दिया।

27. टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. सुनवाई के दौरान यह दिखाने में असमर्थ था कि कैसे वह कई विभागों या इकाइयों में से किसी एक में अपीलार्थी को नियुक्त करता है [कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में ए. ई. (सामग्री प्रबंधन) या ए. ई. (सी. ए. यू. पी.) के रूप में या यहां तक कि एस. ई. के कार्यालय में ए. ई. (सामान्य) या ए. ई. (सामान्य) के रूप में] संभव नहीं है। पदों का पदानुक्रम आगे इंगित करता है कि तकनीकी प्रकृति की प्राथमिक निरीक्षण जिम्मेदारियां जूनियर इंजीनियरों पर हैं, जो तकनीकी सहायकों और लाइनमैन के काम की देखरेख करते हैं। यह स्पष्ट है कि ए. ई. कनिष्ठ अभियंताओं के पर्यवेक्षी कार्य की देखरेख करने की स्थिति में काम करता है। इसमें अंतिम चरण में दृश्य निरीक्षण के बाद संतुष्टि शामिल हो सकती है। पर्याप्त सुरक्षा उपाय (जब भी उस संबंध में अपीलार्थी की सेवाएं बिल्कुल आवश्यक हों, और उसे कुछ अवसरों पर तैनात किया जाता है) यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा सकते हैं कि उसके साथ वे लोग भी हों जिनके पास रंग दृष्टि की कोई कमी या हानि न हो। टैंगेडको की इकाइयों और संगठनात्मक संरचना, इस अदालत की राय में, अपीलार्थी को एक इकाई या विभाग में समायोजित करने के लिए पर्याप्त संभावना है, जिसके लिए उन कौशलों के उपयोग की आवश्यकता नहीं हो सकती है जिनमें रंग के साथ गहन जुड़ाव शामिल है। जैसा कि पहले कहा गया है, ये हैं एस. ई. कार्यालय में ए. ई. (सामान्य), ई. ई. कार्यालय में ए. ई. (सी. ए. यू. पी.); ए. ई. (सामग्री प्रबंधन)। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि अपीलार्थी को ऐसे किसी भी सामान्य विभाग या प्रतिष्ठान में उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाए।

28. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय कायम नहीं रह सकता है; इसे दरकिनार कर दिया जाता है। TANGEDCO, प्रत्यर्थी निगम, को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त किए जाने या उसकी नियुक्ति रद्द किए जाने की तारीख से वेतन के ग्रेड के उचित

स्तर पर AE (इलेक्ट्रिकल) के रूप में अपनी सेवा में नियुक्त करे और उसे एक उपयुक्त विभाग में समायोजित करे, जहां उसे उचित जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अपीलार्थी वेतन के पूर्ण बकाया के 50 प्रतिशत और सभी भत्तों का भी हकदार होगा और उसकी सेवा की गणना नियुक्ति की मूल तिथि (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था) से पूरी निरंतरता के साथ की जाएगी।लागत पर आदेश के बिना, इन शर्तों में अपील की अनुमति है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान